UPRVUNL
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
टी0सी0/46– V, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ।

पत्रांक: 85 –उनिलि/रिफॉर्म/विनियम /2013 दिनाँक: 28/09/2013

कार्यालय ज्ञाप

पूर्व में जारी निदेशकों की क्रय/कार्य समितियों संबंधी सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुये एतद्द्वारा निगम के निदेशक मंडल की दिनाँक 06 सितम्बर 2013 को सम्पन्न 156वीं बैठक में निगम में कार्य सम्पादन/क्रय हेतु 'निदेशक निविदा समिति' का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

(i)	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
(ii)	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
(iii)	निदेशक (वित्त)	सदस्य
(iv)	प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित विशेष सचिव या उच्चतर स्तर का अधिकारी	सदस्य
(v)	मुख्य अभियन्ता (पी0पी0एम0एम0)	सदस्य
(vi)	मुख्यालय पर संबंधित मुख्य अभियन्ता	सदस्य
(vii)	मुख्य अभियन्ता (टॉम)	विशेष आमंत्री

उपरोक्त निदेशकों में से वरिष्ठतम निदेशक उक्त समिति का अध्यक्ष होगा तथा संबंधित मुख्य अभियन्ता समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करेंगे एंव मुख्य अभियन्ता (पी0पी0एम0एम0) समिति के संयोजक का कार्य करेंगे। इस समिति द्वारा उन्हीं प्रकरणों में निर्णय लिया जाएगा जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

क– उक्त समिति रु0 01 करोड़ से अधिक एवं रु0 10 करोड़ की अधिकतम सीमा तक पूंजीगत एवं परिचालन एवं अनुरक्षण संबंधित प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी।

ख– निगमादेश सं0 सचिव/उनिलि/जी–3/613 दि0 11.04.2013 के द्वारा गठित कारपोरेट निविदा समिति– प्रथम अब रु0 10 करोड़ से रु0 25 करोड़ की अधिकतम सीमा तक पूंजीगत एवं परिचालन एवं अनुरक्षण के प्रकरणों में निर्णय लेने के लिये अधिकृत होगी।

ग– रु0 25 करोड़ से अधिक के पूंजीगत एवं परिचालन एवं अनुरक्षण के प्रकरणों में कारपोरेट निविदा समिति–प्रथम द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव पूर्व की भांति निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

घ– रु0 01 करोड़ से अधिक के पूंजीगत प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित दोनों समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों को निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

निदेशक मंडल की आज्ञा से

पत्रांकः 85 –उनिलि/रिफॉर्म/विनियम /2013 तद्दिनाँक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उनिलि के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक/तकनीकी/वित्त), उनिलि के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उनिलि, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, ।
5. मुख्य अभियन्ता (पी0पी0एम0एम0/तापीय परिचालन/मानव संसाधन/कारपोरेट स्ट्रेटेजी/वाणिज्य/ईंधन/पर्यावरण/आर0एण्ड0एम0/जानपद) उनिलि, लखनऊ।
6. कंपनी सचिव, उनिलि, लखनऊ।
7. रेजीडेंट आफिसर, नोयडा।
8. सचिव, उत्पादन सेवा आयोग, लखनऊ
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक 'प्रगति', उनिलि, लखनऊ।
10. कट फाइल।

(सुनील कुमार सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)